

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार का एक शैक्षणिक अध्ययन

¹Priti Verma, ²Prof. Dinesh Pandey

(Research Scholar)

(Supervisor)

Institute of Education & Research Faculty of Humanities Mangalayatan University, Aligarh

सारांश, किसी भी देश को सम्य, सुसंस्कृत, उन्नतिशील एवं विकसित बनाने में उस देश की शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्राथमिक शिक्षा ही वह पहली सीढ़ी होती है जिसे सफलता पूर्वक पार करके कोई भी राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचता है। भारत एक विकसशील देश है और विकसित देशों की श्रेणी में आने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहा है। जिस देश की 70 फीसदी जनता गाँवों में निवास करती हो और जहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषा, बोलियाँ, कला एवं संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हो, ऐसी परिस्थिति में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस देश के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण एवं जरूरी होगी। शिक्षा ही वह साधन है जिसके सहारे विभिन्नता को एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति में उस राष्ट्र के भौतिक एवं मानवीय संसाधनों के साथ-साथ उस राष्ट्र के शैक्षिक संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रयास स्वतंत्रता की प्राप्ति के पूर्व से ही किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकारी सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है।

मुख्य शब्द, शिक्षा, सम्य, सुसंस्कृत, सकारात्मक, तर्किक आदि।

परिचय, शिक्षा सभी प्रकार के मानव विकास व प्रगति का आधार होती है। यह समस्त मानव समस्याओं के प्रति सर्वाधिक धारदार हथियार तथा सबसे मजबूत ढाल होती है। शिक्षा के अभाव में मानव जीवन अर्थहीन हो जाता है। शिक्षा के माध्यम से हम उस ज्ञान तथा उन कौशलों को ग्रहण करते हैं, जिनसे हम एक सार्थक जीवन व्यतीत करने योग्य बनते हैं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की कुंजी होती है। बेकन के अनुसार— ज्ञान ही शक्ति है, अर्थात् ज्ञान ही मनुष्य को, समाज को और दे ी को शक्ति सम्पन्न बनाता है। शिक्षा के द्वारा हम मनुष्य के अन्दर छुपी हुई अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालकर उसका उपयोग समाज एवं दे की भलाई में करते हैं। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनने के पथ पर अग्रसर करती है। शिक्षा के द्वारा मनुष्य की आन्तरिक और बाह्य शक्तियों का विकास होता है। जी०एच० थॉमस के अनुसार— शिक्षा के कारण ही मानव आज सभ्यता के इस ऊँचे शिखर पर पहुँच गया है। शिक्षा ही मनुष्य को असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रका ी की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती है, और निर्देशित करती है।

शिक्षा स्वयं साध्य न होकर व्यक्ति निर्माण का साधन है और व्यक्ति से समाज बनता है। इस प्रकार शिक्षा समाज निर्माण का साधन बन जाती है। शिक्षा की अज्ञानता से मुक्ति दिलाकर समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षा से ही वह यह जान पाता है कि उसके अधिकार व स्वतंत्रताओं का क्या रूप है? राज्य व समाज के प्रति उसके क्या दायित्व हैं? अधिकारों के हनन को कैसे रोका जा सकता है? निःसंदेह शिक्षा से व्यक्ति में सकारात्मक, तर्किक, व गुणात्मक सुधार आता है। वस्तुतः शिक्षा से ही एक अच्छे नागरिक निर्माण में सहायता मिलती है, इसलिए एक अच्छे समाज निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि तदनु रूप वांछित शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण किया जाये, क्योंकि शिक्षा समाज परिवर्तन का सशक्त साधन भी है।

26 अगस्त, 2009 को भारतीय संसद ने शिक्षा के सम्बन्ध में एक ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया जिसे “शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009” कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से भारत सरकार की ओर से सर्वाधिक प्रतिक्षित कदम था। सर्वप्रथम गोपाल कृष्ण गोखले ने 19 मार्च, 1910 को केन्द्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पेश किया था। सोलह मार्च 1911 में गोखले ने इस प्रस्ताव को केन्द्रीय धारा सभा में विधेयक के रूप में पेश किया, परन्तु यह विधेयक पास नहीं हो सका। 1937 में महात्मा गाँधी ने डॉ० जाकिर हुसैन के साथ मिलकर नई तालीम की अवधारणा प्रस्तुत की। वर्तमान में इसे वर्धा शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और बेसिक एजुकेशन आदि कई नामों से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत 7-14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी थी। 1966 में कोठारी आयोग ने बच्चों के लिए समान शिक्षा की सिफारिश की। 1986 की नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा को सभी को आसानी से प्राप्त होने के लिए एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक विद्यालय और तीन किलोमीटर की दूरी के अन्दर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात कही गयी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की पृष्ठभूमि में कहा गया है कि—“संविधान के 86वें संवैधानिक संशोधन से अनुच्छेद 21ए के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।”

शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून

- 6 से 14 साल की उम्र के हरेक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है।
- सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करायेंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियों (एसओएमसीओ) द्वारा किया जायेगा। निजी स्कूल न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को बिना किसी शुल्क के नामांकित करेंगे।
- गुणवत्ता समेत प्रारंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं पर निगरानी के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जायेगा।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने की व्यवस्था 1842 ई. में स्वीडन में आरम्भ की गई। इसके पश्चात् 1852 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। इन देशों में प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की सफलता को देखते हुए सन् 1860 में नार्वे में, 1870 में इंग्लैण्ड में तथा 1905 में हंगरी, पुर्त गाल और स्विट्ज़र्लैंड में

भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। भारत कई वर्षों तक इंग्लैंड का औपनिवेशिक राज्य रहा, फिर भी अंग्रेजों ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। अंग्रेजों की उदासीनता को देखते हुए भारतीय विद्वान एवं समाज सेवक महात्मा ज्योतिबा फुले और दादाभाई नौरोजी ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रथम प्रयास किया। सन् 1882 में दादाभाई नौरोजी ने भारतीय शिक्षा आयोग (हन्टर आयोग) के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा। यद्यपि उनकी इस मांग पर अंग्रेजी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, परन्तु इस माँग ने भारतीयों का ध्यान अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की तरफ जरूर आकर्षित किया। प्रयासों की श्रृंखला में अगला प्रयास सर इब्राहीम रहीमतुल्ला व सर चिमनलाल शितवाड़ ने सन् 1906 में बम्बई (वर्तमान में मुम्बई) सरकार के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा। बम्बई सरकार ने इस प्रस्ताव पर सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया, परन्तु इस समिति ने अपना सुझाव प्रस्ताव के विपक्ष में दिया।

इन सरकारी प्रयासों के साथ-साथ कुछ निजी संस्थाएँ और राजा-रजवाड़ों ने भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने के लिए सराहनीय प्रयास किया। इन प्रयासों में जिनका नाम सर्वप्रमुख लिया जाता है वह बड़ौदा के महाराजा सियाजीराव गायकवाड़ जी हैं। इन्होंने सन् 1893 में प्रयोग स्वरूप अपने राज्य के 'अमरेली' ताल्लुके के 'नौगांव' नामक गाँव में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया। इसकी सफलता को देखते हुए सन् 1906 में उन्होंने अपने सम्पूर्ण राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करने की व्यवस्था कर दी। बड़ौदा नरेश के इस कार्य से गोपाल कृष्ण गोखले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने सन् 1906 में इम्पीरिकल लेजिस्लेटिव काँसिल में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा, परन्तु यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। इस श्रृंखला में प्रथम सफल प्रयास श्री विठ्ठल भाई पटेल का रहा। उनके प्रयासों से सन् 1918 में पटेल कानून के नाम से प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें बम्बई म्युनिसिपल क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य कर दिया गया। इसके कुछ समय पश्चात् देश के अन्य राज्यों में भी इसका अनुसरण किया गया। परन्तु यह व्यवस्था मुश्किल से 2 वर्ष ही चल पाई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया और सभी प्रांतीय योजनाएँ स्थगित कर दी गयीं। परिणामतः प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्यता के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पायी।

15 अगस्त, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि "राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तभी से प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने के लिए विभिन्न आयोगों एवं नीतियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा था, किन्तु वांछित सफलता नहीं मिली। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए सन् 2002 में भारतीय संविधान में 86वाँ संशोधन करके अनुच्छेद 45 को शैशव की शिक्षा तथा देखभाल तक सीमित करते हुए अनुच्छेद 21 'क' जोड़कर प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया।

सन् 1992 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने मोहनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले की सुनवाई करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला दिया। जिसमें उसने यह अभिनिर्धारित किया कि "शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग-3 के अधीन निहित मौलिक अधिकारों का सहगामी है एवं यह संविधान के अधीन प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।" उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत 'जीवन का अधिकार' की गरिमा का पालन करते हुए राज्य को प्रत्येक नागरिक के

लिए शैक्षिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा। सन् 1993 में माननीय उच्चतम न्यायलय ने जे. पी. उन्नीकृष्णन बनाम स्टेट आफ आन्ध्र प्रदेश मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि यद्यपि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्पष्टतः अभिव्यक्त नहीं किया गया है, ले किन यह मौलिक अधिकार में ही निहित है और यह अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत आने वाले जीवन का अधिकार के अधीन प्रत्याभूत किया गया है। शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 45 एवं 41 के सन्दर्भ में समझा जाना चाहिए। 14 वर्ष आयु तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। राज्य इसको अपने आर्थिक क्षमताओं एवं विकास की सीमाओं में सुनिश्चित करे।

अधिनियम का इतिहास

दिसंबर 2002— अनुच्छेद 21 ए (भाग 3) के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया।

अक्टूबर 2003— उपरोक्त अनुच्छेद में वर्णित कानून, मसलन बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2003 का पहला मसौदा तैयार कर अक्टूबर 2003 में इसे वेबसाइट पर डाला गया और आम लोगों से इस पर राय और सुझाव आमंत्रित किये गये।

2004— मसौदे पर प्राप्त सुझावों के मद्देनजर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2004 का संशोधित प्रारूप तैयार कर <http://education.nic.in> वेबसाइट पर डाला गया।

जून 2005— केंद्रीय शिक्षा सलाहकार पार्षद समिति ने शिक्षा के अधिकार विधेयक का प्रारूप तैयार किया और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे नैक के पास भेजा, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गाँधी हैं। नैक ने इस विधेयक को प्रधानमंत्री के ध्यानार्थ भेजा।

14 जुलाई, 2006— वित्त समिति और योजना आयोग ने विधेयक को कोष के अभाव का कारण बताते हुए नामंजूर कर दिया और एक मॉडल विधेयक तैयार कर आवश्यक व्यवस्था करने के लिए राज्यों को भेजा। (76वें संशोधन के बाद राज्यों ने राज्य स्तर पर कोष की कमी की बात कही थी।)

19 जुलाई 2006— सी0सी0एल0, एस0ए0एफ0ई0, एन0ए0एफ0आर0ई0 और केब ने आई0एल0पी0 तथा अन्य संगठनों को योजना बनाने, बैठक करने तथा संसद की कार्यवाही के प्रभाव पर विचार करने व भावी रणनीति तय करने और जिला तथा ग्राम स्तर पर उठाये जाने वाले कदमों पर विचार के लिए आमंत्रित किया। यह विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा 2 जुलाई, 2009 को स्वीकृत किया गया और 20 जुलाई, 2009 को राज्य सभा तथा 4 अगस्त, 2009 को लोकसभा में इसको पारित किया गया। इसके पश्चात् 26 अगस्त, 2009 को इस विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 27 अगस्त, 2009 को भारत सरकार के राजपत्र में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के रूप में प्रकाशित किया गया

विधेयक का महत्व

यह विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि संवैधानिक संशोधन लागू करने की दिशा में, सरकार की सक्रिय भूमिका का यह पहला कदम है और यह विधेयक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि—

- इसमें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा का कानूनी प्रावधान है।
- प्रत्येक इलाके में एक स्कूल का प्रावधान है।
- इसके अंतर्गत एक स्कूल निगरानी समिति के गठन प्रावधान है, जो समुदाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से स्कूल की कार्य प्रणाली की निगरानी करेगी।
- 6 से 14 साल आयु वर्ग के किसी भी बच्चे को नौकरी में नहीं रखने का प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधान एक सामान्य स्कूल प्रणाली के विकास की नींव रखने की दिशा में प्रभावी कदम है। इससे सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सकेगी और इस प्रकार सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को अलग-अलग करने में रोक लग सकेगी। विधेयक में सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रारंभिक से माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा देने पर जोर दिया गया है और इस आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने से उनके भविष्य का आधार तैयार हो सकेगा।

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर0टी0ई0) कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्राप्त का अधिकार हो और यह इसे राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से पूरा करता है। विश्व के कुछ ही देशों में मुफ्त और बच्चे पर केन्द्रित तथा तथा मित्रवत शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय प्रावधान मौजूद है।

मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूलों में मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलेगा। इसके लिए बच्चों या उनके अभिभावकों से प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए कोई भी प्रत्यक्ष फीस (स्कूल फीस) या अप्रत्यक्ष मूल्य (यूनीफॉर्म, पाठ्य-पुस्तकें, मध्याह्न भोजन, परिवहन) नहीं लिया जाएगा। सरकार बच्चे को निःशुल्क स्कूलिंग उपलब्ध करवाएगी जब तक कि उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं हो जाती।

आर0टी0ई0 को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और अभिभावकों की भूमिका

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर0टी0ई0) कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत के इतिहास में पहली बार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है जिसे राज्य द्वारा परिवार और समुदायों की सहायता से किया जाएगा।

विश्व के कुछ ही देशों में सभी बच्चों को अपनी क्षमताएं विकसित करने में सहायता हेतु मुफ्त और बच्चे पर केन्द्रित तथा मित्रवत शिक्षा दोनों को सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय प्रावधान मौजूद है। यह एक अनुमान है कि 2009 में भारत में 6 से 14 साल के आयु वर्ग के ऐसे 80 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते थे। विश्व, भारत के बगैर 2015 तक प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी कराने के अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। स्कूल स्थानीय अधिकरण, अधिकारियों, माता-पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितियां (एस0एम0सी0) बनाएंगे। ये एस0एम0सी0 स्कूल

के विकास के लिए योजनाएं बनाएंगी और सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का प्रयोग करेगी और पूरे स्कूल के वातावरण को नियंत्रित करेगी। आर0टी0ई0 में यह घोषित है कि एस0एम0सी0 में वंचित तबकों से आने वाले बच्चों के माता-पिता और 50 फीसदी महिलाएं होनी चाहिए। इस तरह के समुदायों की भागीदारी लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय सुविधाओं, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान के जरिए पूरे स्कूल के वातावरण को बाल मित्रवत बनाने को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण होंगी।

आर0टी0ई0 बाल मित्रवत

सभी स्कूलों को सीखने के प्रभावकारी वातावरण के लिए बुनियादी ढांचों और शिक्षक नियमों का पालन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 बच्चों पर दो प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्धन कराए जाने चाहिए। शिक्षकों को नियमित और सही समय पर स्कूल आना चाहिए, पाठ्यक्रम के निर्देशों को पूरा करना चाहिए, समाप्ति निर्देशों के मुताबिक, सीखने की क्षमता बढ़ाना और उन्हें माता-पिता और शिक्षकों के बीच बैठकें करानी चाहिए। शिक्षकों की संख्या बच्चों की संख्या के आधार पर होनी चाहिए न कि ग्रेड के आधार पर। राज्य बच्चों को सीखने में एवं बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त सहयोग सुनिश्चित करेगा। समुदाय और नागरिक समाज एस0एम0सी0 के साथ निष्पक्ष तरीके से स्कूल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। राज्य नीति फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएगा और प्रत्येक बच्चे के लिए आर0टी0ई0 को सुनिश्चित करने का वातावरण बनाएगा।

भारत में शिक्षा के अधिकार विधेयक मंजूर

भारतीय संविधान में संशोधन के छह साल बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दे दी। प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार मिलने से पहले, इसे संसद की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा। आजादी के 61 साल बाद भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दी है, जिससे 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं— प्रवेश के स्तर पर आसपास के बच्चों को निजी स्कूलों में नामांकन में 25 प्रतिशत आरक्षण। स्कूलों द्वारा किये गये खर्च की भरपाई सरकार करेगी। नामांकन के समय कोई डोनेशन या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा और छटनी प्रक्रिया के लिए बच्चे या उसके अभिभावकों का साक्षात्कार नहीं होगा।

विधेयक में शारीरिक दंड देने, बच्चों के निष्कासन या रोकने और जनगणना, चुनाव ड्यूटी तथा आपदा प्रबंधन के अलावा शिक्षकों को गैर-शिक्षण कार्य में तैनात करने पर रोक लगायी गयी है। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल चलाने पर दंड लगाया जा सकता है।

भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री पी0 चिदंबरम् ने इसे बच्चों के साथ किया गया महत्वपूर्ण वादा करार देते हुए कहा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार बनने से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना केंद्र और राज्यों का संवैधानिक दायित्व हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मानव संसाधन मंत्रालय विधेयक का विवरण चुनाव आयोग से सलाह के बाद जारी करेगा। विधेयक की जांच-पड़ताल के लिए नियुक्त मंत्रियों के समूह ने इस महीने के शुरू में किसी फेर-बदल के बिना ही विधेयक को मंजूरी दे दी थी, जिसमें आसपास के वंचित वर्गों के बच्चों को निजी

स्कूलों में प्रवेश के स्तर पर 25 प्रतिशत का आरक्षण देने का प्रावधान है। कुछ लोग इसे सरकार की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए निजी क्षेत्र को मजबूर करने के दृष्टिकोण से भी देखते हैं।

शिक्षा का अधिकार विधेयक 86वें संविधान संशोधन को कानूनी रूप से अधिसूचित कर सकता है, जिसमें 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। 1936 में जब महात्मा गाँधी ने एक समान शिक्षा की बात उठायी थी, तब उन्हें भी लागत जैसे मुद्दे, जो आज भी जीवित हैं, का सामना करना पड़ा था। संविधान ने इसे एक अस्पष्ट अवधारणा के रूप में छोड़ दिया था, जिसमें 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की जवाबदेही राज्यों पर छोड़ दी गयी थी। 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिये शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 2004 में सत्तारूढ़ राजग ने विधेयक का प्रारूप तैयार किया लेकिन इसे पेश करने के पहले ही वह चुनाव हार गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का वर्तमान प्रारूप विधेयक खर्च और जिम्मेदारी को लेकर केंद्र तथा राज्यों के बीच अंधरे में झूलता रहा।

निष्कर्ष,

आलोचक उम्र के प्रावधानों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि 6 साल से कम और 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार ने शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की क्षमता के निम्न स्तर और नये खुलने वाले स्कूलों की बात तो दूर, वर्तमान स्कूलों में शिक्षा के आधारभूत ढांचे की कमी की समस्या भी दूर नहीं की है। इस विधेयक को राज्यों के वित्तीय अंशदान के मुद्दे को लेकर पहले कानून और वित्त मंत्रालयों के विरोध का सामना करना पड़ा था। कानून मंत्रालय को उम्मीद थी कि 25 प्रतिशत आरक्षण को लेकर समस्या पैदा होगी, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस पर हर साल 55 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था। योजना आयोग ने इस राशि की व्यवस्था करने में असमर्थता जतायी थी। राज्य सरकारों ने कहा था कि वे इस पर होनेवाले खर्च का हिस्सा भी देने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए केंद्र को पूरा खर्च स्वयं वहन करने के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। विधेयक के प्रारूप में तीन साल के भीतर हर इलाके में प्रारंभिक स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है, हालांकि स्कूल शब्द से सभी आधारभूत संरचनाओं से युक्त स्कूल की छवि ही बनती है। इसके लिए न्यूनतम आवश्यकताओं का एक सेट तैयार किया गया, क्योंकि सुदूरवर्ती ग्रामीण और गरीब शहरी क्षेत्र में कागजी काम की सामान्य बाधाएं हैं। राज्य को भी यह जिम्मेदारी दी गयी कि यदि कोई बच्चा आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं जा रहा हो, तो वह उसकी समस्या को दूर करें। नई दिल्ली के बाराखंबा रोड स्थित मॉडर्न स्कूल की प्राचार्या लता वैद्यनाथन ने कहा— कानून और विधेयक से बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। शुरुआत में समस्याएं होंगी, लेकिन साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी होगी, वहीं सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या इस कार्यक्रम तक सभी बच्चों की पहुंच है। उनका कहना है कि शुल्क का अवयव सरकार द्वारा दिया जायेगा, लेकिन दूसरे पर खर्च थोपना उचित नहीं है। इसके बावजूद विधेयक तैयार करने वाले शिक्षाविद् तर्क देते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी का वहन करना विशेषाधिकार माना जाना चाहिए, बोझ नहीं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- [1] उपाध्याय, डॉ. प्रतिमा (2005) भारतीय शिक्षा में उदीयमान प्रवृत्तियाँ, संस्करण 3, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद पृष्ठ संख्या 256
- [2] जीन एवं सेन, अमर्त्य (2002) भारत विकास और भागीदारी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली प्रभात कुमार रवि (2026)। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता का अध्ययन, आर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल जर्नल
- [3] अरविंद कुमार आर. एवं पटेल, हरेशकुमार एम. (2026) प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के कार्यान्वयन का अध्ययन,
- [4] विद्यावती कुमारी (2024) झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के छीजित बच्चों की शैक्षिक स्थिति शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में, शोध समागम जर्नल
- [5] वाधवा, डब्ल्यू. (2025) एएसईआर (ASER) रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा में सुधार और महामारी के पश्चात् पुनरुत्थान, आइडियाज फॉर इंडिया
- [6] कुमार, एस. (2021)। विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की अपेक्षित भूमिकाएँ और कार्य प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, साउथ एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज
- [7] टू एजुकेशन पोर्टल शिक्षा का अधिकार – आरटीई के मानक और प्राथमिक विद्यालय अवसंरचना, RTE India Official Inf
- [8] टुंगो, सी. (2024). NEP 2020 के तहत भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन में करिकुलम और पेडागॉजिकल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च - GRANTHAALAYAH, 12(4), 79–87.
<https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v12.i4.2024.5595>
- [9] क्रिस्टोफर ए टी. ए.ए और ब्रिंथा ए सी. (2024) क्लासरूम से परे: अपर प्राइमरी स्कूलों में टीचर इफेक्टिवनेस को आकार देने वाले फैक्टर्स। शोधकोश: जर्नल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स 5;2 695-702
- [10] मज़बूत सपोर्टिंग रेफरेंस – प्राइमरी-स्कूल इम्प्रूवमेंट में टीचर इफेक्टिवनेस एक मेन इंडिकेटर है।
- [11] परमार ए पी.ए बीका ए एस. एल.ए पाल ए एस.ए और हलदर ए एस. (2024) बुनियादी स्तर पर समावेशी शिक्षा के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में शारीरिक साक्षरता 2020 के साथ मेल खाती है। शोधकोश: जर्नल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स 5;1 175-186